प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/219260/KPN/KANPUR NAGAR/5952/CFO
दिनांक: 20-09-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO-702, 704, 705, 706 VILL-BARAULI AND,296 KA GRAM SUBHANPUR,KANPUR NAGAR** तहसील - **BILHAUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ACADEMIC BLOCK	4	0	13.60 mt.

तथा प्लाट एरिया **51010.00 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **DELHI WORLD PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनाँक **23-09-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VIVEK DEVENDRA SINGH, E-Mail ID : PRINCIPAL.DPSBILHAUR@GMAIL.COM, Mobile No. : 9918144144** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal ofFire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-09-2026** से **22-09-2031** तक **5** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।"

Note : Operational Since Long, Hence, The Renewal NOC is issued as per NBC-2016& F&ES ACT 2022/RULES 2024 for (G+3) FLOORS ONLY as per the Physical Site Inspection&Verification with Recommendations of FSSO K-2: 1.To Maintain Fire & Life Safety & Smoke Management System as per the Norms Always. 2.To Comply for Electrical Safety Audit MANDATORILY for entire Premises. 3.To Comply for Bye Laws as per COMPETENT AUTHORITY Approval &The Drawing Approval is Mandatory from COMPETENT AUTHORITY. 4.Issued NOC will be Cancelled Automatically In case of any deviation as per the above Conditions or Wrong FSSO Inspection Report.

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-09-2026
स्थान : KANPUR NAGAR

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEEPAK SHARMA

4FEC601B249D8FA095483F08197433CBE5D301AC

23-09-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.